भारत की 15वीं राष्ट्रपति

यूपीएससी परीक्षा के सिलेबस से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** राष्ट्रपति

प्रसंग

- श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64 प्रतिशत और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए।
- ध्यातव्य है कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमना द्वारा उन्हें संसद के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

- यह राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली जनजातीय महिला हैं।
- 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी।
- वह भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी, जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है।
- 1997 में श्रीमती मूर्मु पहली बार राजनीति में शामिल हुई और ओडिशा के मयुरभंज जिले के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गई। उन्होंने 2002 से 2009 तक रायरंगपुर विधिसभा क्षेत्र से दो बार विधायक और एक बार ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य किया।
- 18 मई, 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और पिछले साल 12 जुलाई तक इस पद पर रहीं।

- वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं और किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता थीं।

भारत में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया

- राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद और राज्यों और दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक शामिल होते हैं।
- निर्वाचक मंडल संसद के ऊपरी और निचले सदनों (राज्य सभा और लोकसभा सांसदों) के सभी निर्वाचित सदस्यों और राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की विधानसभाओं (विधायकों) के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है।
- ज्ञातव्य है कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं हैं।
- मतों को भारित किया जाता है और उनका मूल्य 1971 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य उत्तर प्रदेश में 208 के उच्च से सिक्किम में 7 के निचले स्तर तक भिन्न होता है। इसका आशय है कि यूपी के 403 विधायक चुनावी प्रक्रिया में 208 × 403 = 83,824 वोटों का योगदान करते हैं, जबकि सिक्किम के 32 विधायक 32 × 7 = 224 वोटों का योगदान करते हैं। सभी विधानसभाओं के भारित मतों का योग 5.43 लाख है।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आशय

- इस निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत किसी पद के लिए प्रत्याशी का चुनाव सीधे मतदाता नहीं करते, बल्कि मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं, जो अन्ततः उन पदों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे।
- यह पद्धति चुनाव की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है और बहुत से देशों के उच्च सदनों के लिए तथा राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता है।

सभी सांसदों और विधायकों के पास निश्चित संख्या में वोट

- यद्यपि, एक लंबी गणना प्रत्येक निर्वाचित विधायक और सांसद के वोटों के मूल्य को निर्धारित करती है।
- विधायक के लिए, संख्या का निर्धारण राज्य की कुल जनसंख्या द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित करके किया जाता है, जिसे आगे 1000 से विभाजित किया जाता है।
- जनसंख्या डेटा 1971 की जनगणना से लिया जाता है। इस जनगणना का उपयोग 2026 तक किया जाएगा।
- उदाहरण के लिए, 1971 में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 30,017,180 थी। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 230 है। तो एक विधायक के वोट का मूल्य होगा:

$$\frac{30017180}{1000 * 230}$$

- एक सांसद के वोट का मूल्य पूरे देश के सभी विधायकों के वोटों के कुल मूल्य को लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या से विभाजित करके तय किया जाता है ।
- राज्य के वोट के कुल मूल्य की गणना एक विधायक के वोट के मूल्य को निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या से गुणा करके की जाती है।

विधायक और सांसद की वोट प्रक्रिया

- एक पारंपरिक मतपत्र के विपरीत, जहां मतदाता अपने चुने हुए उम्मीदवार के लिए केवल एक वोट डालता है, राष्ट्रपति चुनाव का मतपत्र इस प्रणाली का पालन नहीं करता है।
- यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का अनुसरण करता है। इसके अनुसार, प्रत्येक मतदाता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अपनी पसंद को चिन्हित करता है।

- उदाहरण के लिए, यदि पाँच उम्मीदवार हैं, तो मतदाता पाँच वरीयताएँ देगा। प्रथम वरीयता देना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में मत को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर मतदाता अन्य प्राथमिकताएं नहीं देता है, तो वोट को वैध माना जाएगा।

वोट कोटा

- आनुपातिक प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप वोट कोटा आया है, जो सभी समूहों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
- विदित है कि केवल वोट देना या वरीयता का संकेत देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक वोट या पहली वरीयता वाला व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीतता है।
- वैध मतों की कुल संख्या तय करती है कि एक उम्मीदवार को विजेता घोषित करने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होगी। इस संख्या को दो से विभाजित किया जाता है और जीतने का मानदंड बनाने के लिए एक में जोड़ा जाता है।
- उदाहरण के लिए, यदि 50,000 वैध वोट हैं, तो उम्मीदवार को (50,000/2) +1 की आवश्यकता होगी, जो 25,001 वोटों के समान है।
- यदि कोई उम्मीदवार वोट कोटे तक पहुंचने में विफल रहता है, तो न्यूनतम वोटों वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उसके वोट दूसरी वरीयता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।
- यदि वोट कोटा हासिल हो जाता है, तो एक विजेता होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो कम से कम वोट वाले उम्मीदवार को फिर से हटा दिया जाता है और अन्य को तीसरी वरीयता के आधार पर वोट मिलते हैं।

राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 52-62)

- अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का चुनाव
- अनुच्छेद 55 : राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति

- अनुच्छेद 56 : राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल
- अनुच्छेद 57: पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
- अनुच्छेद 58 : राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता
- अनुच्छेद 59 : राष्ट्रपति के पद की शर्तें
- अनुच्छेद 60 : राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 61 : राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

भारत के राष्ट्रपति हेतु योग्यता

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति में कुछ विशेष योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं-
    - राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
    - राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारी वही प्रस्तुत कर सकता है, जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
    - राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी आवश्यक है।
    - राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
    - विदित है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि 15 हजार रुपये है और कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत नहीं मिलने पर यह राशि जब्त हो जाती है।
    - राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
    - राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते हैं।
    - अनुच्छेद 57 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

- राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।
- अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- स्वयं पर महाभियोग प्रस्तुत करने की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए।
- इस प्रस्ताव पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जहाँ पर इसे प्रस्तुत किया जा रहा है।
- प्रथम जाँच के बाद इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में प्रेषित किया जाता है।
- इस दूसरे सदन में राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण करने का अधिकार रखता है।
- ज्ञातव्य है कि दोनों सदनों में यदि महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत स्वीकार कर लेता है, तो ही राष्ट्रपति को पद मुक्त समझा जाता है।
- भारत में अब तक ऐसा अवसर नही आया है, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया हो।

राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति

- अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है।
- राष्ट्रपति के पास कई विधायी शक्तियाँ हैं और यह शक्ति उनमें से एक है। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर एक अध्यादेश जारी करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस